

क्रमांक ..... 2025  
केम्प - जूलॉफ - दि. 17/10/25

(रा.श. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवाना जिला बालोतरा  
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पूलो की जमाबन्दी सम्वत् 2017-18 के खाता संख्या 124 में मेरा/हमारे नाम अपसिंह पुत्र नैनाराम

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम अशोक कुमार पुत्र नैनाराम

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।  
दिनांक :-

र.प. कौशिक  
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, के अनुसार अपसिंह पुत्र नैनाराम के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र नैनाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

17/10/25  
निरीक्षक  
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

पं. सांभरड़ा

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

CCMS - 2025/645

आदेश

क्रमांक / ग.व.श. / 1711

दिनांक 17/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम पूलो की जमाबन्दी संवत् 2017-18 के खाता संख्या 124 में अपसिंह पुत्र नैनाराम के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

अशोक कुमार पुत्र नैनाराम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तदनुसार गण्ड में प्रगत दरमाद की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना, बालोतरा